न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 262—दो/2002 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 29—09—2001 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 201/1993—94/अपील

.....

1— जिलेदार सिंह
2— हाकिम सिंह
3— केदार सिंह
4— बलबन्त सिंह
5— मुन्ना सिंह
पुत्रगण विजयसिंह ठाकुर
समस्त निवासीगण — ग्राम डालसिंह का पुरा
मौजा अरूसी परगना अम्बाह
जिला—मुरैना (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीरामसिंह पुत्र जर्दानसिंह ठाकुर
निवासी— ग्राम— अरूसी तहसील— अम्बाह
जिला—मुरैना (म0प्र0)

.....अनावेदक

.....

श्री श्रीकृष्ण शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय है

आदेश

(आज दिनांक 3-11-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 29—09—2001 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का विवरण संक्षिप्त यह है कि तहसील अम्बाह के ग्राम अरूसी में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 390 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा में स्थित कुआ है, जिसके इन्द्राज

दुरूस्ती बावत एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 115 व 116 के अन्तर्गत अनावेदक श्री रामसिंह द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर इश्तहार जारी किया जाकर प्रकरण सुनवाई के लिये नियत किया। प्रकरण में आवेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। आपत्ति में विवादित कुआ सर्वे क्रमांक 390 में न होकर सर्वे क्रमांक 392/1 में स्थित होना बताया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारों को सुनने तथा प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभिलेखों की विस्तृत विवेचना करने के उपरान्त पारित आदेश दिनांक 05.02.94 द्वारा विवादित कुआं का इन्द्राज अनावेदक श्री रामसिंह के द्वारा विक्रय भूमि सर्वे क्रमांक 390 में किये जाने का आदेश दिया। साथ ही यह आदेशित किया गया कि कुऐं के उपयोग का प्रश्न है, आवेदकगण यथावत उपयोग करते रहे। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.94 से दुखी होकर आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 56/93–94/अपील माल पर दर्ज किया जाकर दिनांक 18.07.94 को अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह द्वारा प्रथम अपील अस्वीकार करते हुये, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा गया। पारिणामतः आवेदकगण द्वारा यह द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 201/93–94/अपील पंजीबद्ध किया गया तथा अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29.09.2001 को आदेश पारित करते हुये आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील निरस्त किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश यथावत रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि सर्वे क्रमांक 390 तथ 392 की मेड़ पर स्थित कुयें का विवाद है। अनावेदक द्वारा धारा 115 व 116 के अन्तर्गत कुयें को सर्वे क्रमांक 390 में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया । राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि कुयें का अधिक भाग सर्वे क्रमांक 392 की ओर है । विचारण उन्याालय ने इसे मान्य किया । पंचनामा के अनुसार खसरे के खाना नं0 16 में कुयें का इन्द्राज पूर्व से चला आ रहा है । विचारण न्यायालय द्वारा विवादित कुयें का इन्द्राज खसरा क्रमांक 390 में करने का आदेश दिया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कतई विचार न करने में भूल की गई है । सम्बत् 2022 के भू–अभिलेख में विवादित कुयें के

मालिक हाकिम सिंह अंकित है और यह कुआं आवेदक द्वारा हाकिम सिंह के वारिसानों से क्रय किया है, जो सर्वे क्रमांक 392 में स्थित है । विवादित कुआं सर्वे क्र0 392 की मेड़ पर स्थित है । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में विवादित कुयें में स्वत्व का प्रश्न निहित होना मान्य किया है और उभयपक्ष को यह निर्देश दिया है कि वह व्यवहार न्यायालय के स्वत्व की घोषणा करावे । ऐसी स्थिति में विवादित कुयें को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सर्वे क्र0 390 में मान्य किया जाकर कुयें का इन्द्राज पटवारी कागजात में सर्वे नं0 390 में किये जाने का तजो आदेश प्रदान किया गया है, अवैध होकर पूर्णतः निरस्तनीय योग्य है । अनावेदक का आवेदन संहिता की धारा 115 व 116 की परिधी में नहीं आता है । धारा 115 में स्वमेव तथा 116 में एक वर्ष के अन्दर आवेदन प्रस्तुत होना चाहिये । हाकिम सिंह के पक्ष में कुयें की प्रविष्टि के विरूद्ध अनावेदक व पूर्व भूमिस्वामी आनंदी बाई द्वारा किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । गोविंदीबाई के पक्ष में जो नामांतरण हुआ है उसमें कुयें का इन्द्राज नहीं है । इससे स्पष्ट है कि सर्वे नं0 390 में कुआं कभी नहीं रहा है । जिस पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं किया गया और आदेश पारित कर दिया गया है जो अवैधानिक व अवैध है । ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये, निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि जिसे अनावेदक रामसिंह द्वारा क्रय की गई थी, उसमें कुआं का भी उल्लेख है । अनावेदक द्वारा जिस भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया गया था, विक्रय पत्र में भूमि के साथ–साथ कुआं का भी उल्लेख है । इस प्रकार आवेदकगण कायह कहना कि कुआं सर्वे क्रमांक 392 में है, गलत है । आवेदकगण का दूसरा तर्क कि प्रकरण संहिता की धारा 115 व 116 की परिधि में नहीं आता । इस संबंध में मेरे द्वारा विचारण न्यायालय की प्रकरण पत्रिका को देखा गया, जिसमें अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, प्रस्तुत आवेदन पत्र संहिता की धारा 115, 116 के तहत नहीं है ।

6/ प्रकरण में अनावेदक द्वारा कुआं का इन्द्राज उस भूमि में किये जाने का अनुरोध किया है, जिस भूमि को अभिलिखित भूमिस्वामी गोविन्दीबाई से क्रय की थी । रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में भी स्पष्ट लिखा हे कि कुआं लगभग 80 वर्ष पुराना बना हुआ है, जो खण्डर के रूप में स्थित है । विक्रीत भूमि किसी भू–दान अथवा शासन द्वारा पट्टे पर प्राप्त नहीं हुई हे । इसका तात्पर्य यह है कि विवादित कुआं भी उसी भूमि में था, जिस भूमि को अनावेदक द्वारा क्रय की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि जहां तक कूप के स्वत्व का प्रश्न है, उभयपक्ष व्यवहार न्यायालय से स्वत्व घोषणा करावे । विवादित कुआं भी सर्वे क्रमांक 390 का अंश है । स्पष्ट है कि विवादित कुआं जिस भूमि पर था उस भूमि को क्रय करने से उसमें स्थित हुआ भी क्रेता का होगा और इसी आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अपना आदेश पारित करते हुये विवादित कुआं को अनावेदक की भूमि सर्वे क्रमांक 390 में दर्ज किये जाने का जो आदेश दिया है, वह सही व नियामनुसार एवं न्यायप्रक्रिया के अनुसार है । इसकी पुष्टि अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा अपने आदेश में की गई है । अपर आयुक्त ने भी अपने आदेश में विस्तृत विवेचना करते हुये अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों को यथावत रखा है । अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश में कोई त्रृटि परिलक्षित नहीं होती है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये तथ्यों के आधार पर समवर्ती निष्कर्ष उचित होने से उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं, स्थिर रखे जाते है और आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी बिना किसी ठोस आधार के होने के कारण निरस्त किया जाता है । तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर